संख्या-37/2026/I/1261961/30-3-2026-1893186

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2767स0सु0/2025-08स0सु0/2021(Vol-4), दिनांक 22-12-2025 एवं पत्र संख्या-99स0सु0/2026-08स0सु0/2021(Vol-4), दिनांक 16-01-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के क्रमांक-7 पर खनन विभाग के 17 चेकगेटों पर वे-इन-मोशन की स्थापना हेतु यूपीडेस्को को कार्यदायी संस्था नामित करने के साथ ही कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2025 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2025-26: प्रस्तावित पूंजीगत योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 9936.925 लाख (रू0 निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख बान्नवे हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य	वर्ष 2025-26 हेतु समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
(1)	शासन के पत्र दिनांक 31.03.2025 द्वारा जनपद बलिया के प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे की स्थापना हेतु धनराशि रू0 4,98,13,800/- की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 295.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति आगामी कोष की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में इस शर्त के साथ निर्गत की गयी कि प्रश्नगत कार्य का अनुमोदन आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाए, अवशेष धनराशि / द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि रू0 202.98 लाख।	202.98	202.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)	मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० द्वारा सड़क दुर्घटना मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने के निर्धारित लक्ष्य एवं मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी तथा भारत सरकार की Special Assistance to States for Capital Investment- 2025-26 योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेन्ट डिवाइसेस की स्थापना के निर्देश दिये गये हैं। • इस क्रम में वर्ष 2024 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में घटित कुल दुर्घटना मृत्यु का 50 प्रतिशत भाग वाले प्रदेश के 25 जनपदों-हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलन्दशहर, कानपुर नगर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बदायूं, मेरठ, बिजनौर, आजमगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं फिरोजाबाद (ZFD में चयनित 20 जनपदों को सम्मिलित करते हुए) में जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेन्ट डिवाइसेस की स्थापना हेतु प्रति जनपद रू0 100.00 लाख की दर से कुल अनुमानित व्यय रू० 2500.00 लाख । • शेष 50 जनपदों हेतु रू0 50.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल अनुमानित व्यय रू0 2500.00 लाख ।	5000.00	5000.00
(3)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के 36 नवीन सृजित पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 18 इंटरसेप्टर वाहनो (ए०एन०पी०आर० 360 डिग्री कैमरा, स्पीड रडार गन, ब्रेथ एनालाइजर, टिन्ट मीटर इत्यादि संयंत्रों सहित) को क्रय करने हेतु रू0 32.00 लाख प्रति वाहन की दर से कुल रू0 576.00 लाख ।	576.00	576.00
(4)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को पूर्व से आवंटित टैबलेट अत्यन्त पुराने हो जाने के कारण प्रतर्वन कार्यों के लिए नवीनतम टेक्नोलाजी युक्त कुल 106 टैबलेट के क्रय हेतु प्रति टैबलेट अनुमानित रू0 50000.00 की दर से अर्थात कुल रू0 53.00 लाख ।	53.00	53.00
(5)	परिवहन विभाग के 223 विभागीय वाहनों में GPS की स्थापना हेतु श्रीट्रॉन इण्डिया लि० द्वारा रू0 42.64 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके सापेक्ष रू० 30.02 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रू0 12.62 लाख का भुगतान किये जाने हेतु।	12.62	12.62
(6)	वर्ष 2025-26 में मुख्यतः राहवीर योजना / कैशलेस ट्रीटमेंट योजना/सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम/माह फरवरी, 2026 में प्रस्तावित सड़क सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत Large Scale Sensitization Event	1000.00	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	आयोजित कराये जाने संबंधी प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स / बिल बोर्डस / LED Board/ LED Wall के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु अनुमानित व्यय हेतु रू0 1000.00 लाख।		
(7)	खनन विभाग के 55 क्रियाशील चेकगेट में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 06 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18 चेकगेट अर्थात् कुल 24 चेकगेट पर वे-इन मोशन की स्थापना हेतु स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। 18 वे-इन-मोशन की स्थापना के लिए रू0 1405.35 करोड़ प्रति वे-इन-मोशन रू0 78.075 लाख की दर से मार्च, 2025 में यूपीडेस्को को निर्गत किया जा चुका है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वे-इन-मोशन को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक यूनिट में आर०सी०सी० का प्लेटफार्म तथा तीन अतिरिक्त कैमरे लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए यूपीडेस्को से इस्टीमेट प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार आर०सी०सी० प्लेटफार्म के लिए रू0 50.43 लाख और तीन अन्य कैमरों के लिए रू0 5.00 लाख प्रति वे-इन-मोशन का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है। चूंकि 06 वे-इन-मोशन का टेण्डर पहले ही यूपीडेस्को द्वारा किया जा चुका है और 18 वे-इन-मोशन के लिए धनराशि रू० 1405.35 करोड़ निर्गत की जा चुकी है। अतः आर०सी०सी० प्लेटफार्म और तीन अन्य कैमरों के लिए पूर्व से स्वीकृत 18 वे-इन-मोशन के लिए अतिरिक्त धनराशि रू0 907.74 लाख की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तृतीय चरण के लिए 17 वे-इन-मोशन की स्थापना हेतु प्रति वे-इन-मोशन रू0 128.505 लाख (आर०सी०सी० प्लेटफार्म एवं 03 अतिरिक्त कैमरे के साथ) की दर से रू0 2184.585 लाख की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 3092.325 लाख की आवश्यकता है।	3092.325	3092.325
	योग -	**9936.925**	**9936.925**

<u>नियम व शर्तें</u> -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(9) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

(10) **उपरोक्त तालिका के क्रमांक-(2) में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेन्ट डिवाइसेस की स्थापना का कार्य केंद्रीयकृत व्यवस्था में कराया जाये।**

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-198-X-2025-26, दिनांक 10 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2026/I/1261961(1)/30-3-2026-1893186, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।